



प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 17 अप्रैल, 2026

विषय:-रिट याचिका संख्या-36533/2024 श्रीमती कृष्णा देवी व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 04 अन्य
में मा० न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र संख्या-13324 बी०जी०/
245 बी० (64)/2025-26, दिनांक 25.03.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-36533/2024 श्रीमती कृष्णा देवी व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 04 अन्य में मा० न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना के अन्तर्गत मुआवजे के भुगतान हेतु धनराशि ₹ 67,48,715.00 लाख (रूपये सड़सठ लाख अड़तालीस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1)- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- (2)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (4)- यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (5)- प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि के प्रतिकर का भुगतान विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (6)- उक्त धनराशि के भुगतान से पूर्व समस्त तथ्यों की जाँच कर ली जाय एवं धनराशि की गणना की शुद्धता की जाँच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त देयता के सम्बन्ध में पूर्व में कोई धनराशि काश्तकार को नहीं दी गई है।
- (7)- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण संबंधी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों / शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

- (8) विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक एवं लेखाधिकारी भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत धनराशि की गणना सुसंगत शासनादेश के आलोक में की गयी है।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय ₹ 67,48,715.00 लाख (रुपये सड़सठ लाख अड़तालीस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000302 विभिन्न मार्गों पर अधिग्रहीत भूमि प्रतिकर का भुगतान जिसके भुगतान के लिये आदेश न्यायालय या शासन से प्राप्त हुये हो मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संबंधित जिलाधिकारी।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 7- संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 8- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-10
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
- 11- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रिपुंजय गुप्ता
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।